भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1388

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

21 माघ, 1942 (शक)

फर्जी आधार कार्ड

1388. श्रीमती रंजनबेन भट्ट :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में फर्जी आधार कार्ड बनाने का व्यवसाय कथित रूप से तेजी से फल-फूल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्रवाई कब तक पूरी की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) : आधार (वित्तीय एवं अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 (क) और 3 के तहत प्रत्येक नागरिक के लिए 12 डिजीट की एक आधार संख्या जारी की जाती है।

आधार कार्ड के प्रमाणीकरण की जांच करने के लिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने पहले ही आनलॉइन और ऑफलाइन मोड में आधार का सत्यापन पाने हेतु एक व्यवस्था सृजित की है।

दी गई आधार संख्या यूआईडीएआई द्वारा दी गई है या नहीं, की जांच करने के लिए यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट (**https://resident.uidai.gov.in/verify**) सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

आधार संख्या की प्रमाणिकता को प्रमाणिकरण के माध्यम से जांचा जा सकता है। आधार अधिनियम 2016,की धारा 4(3) में निर्धारित किया गया है कि "अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रत्येक आधार नंबर धारक, स्वेच्छा से प्रमाणिकरण या ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने आधार नंबर का प्रयोग कर सकता है..."।

ऑफलाइन सत्यापन में आधार पत्र/ई आधार/आधार पीवीएस कार्ड पर मुद्रित क्यूआर की स्कैनिंग शामिल है। ऑनलाइन सत्यापन में ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण और बॉयोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण शामिल है।

तदनुसार, नकली आधार कार्ड की प्रमाणिकता (यदि हो तो) उपर्युक्त तरीको से उपयोगकर्ता द्वारा सत्यापित की जा सकती है।

****